उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

परियोजना कार्यालय, यूपीसीडा
लखनऊ (एक्स–लीडा)
एच0आई0जी0 64–65 सेक्टर–डी,
मानसरोवर कालोनी, कानपुर रोड़,
लखनऊ–226012
दूरभाष : 0522–2435514

श्री आई0एच0 सिद्दकी,
अधिकृत हस्ताक्षरी,
मेंo एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0,
द्वितीय तल, एल्डिको कॉरपोरेट चैम्बर–1,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परियोजना कार्यालय यूपीसीडा एक्स–लीडा की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र

संदर्भ सं0 534 /यूपीसीडा/2023–24/336 दिनांकः 04/09/2023

मेंo एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 का मानचित्र ग्राम चन्दावन नटकुर नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर जनपद लखनऊ में भूखण्ड संख्या–जी0एच0–4 का ले–आउट प्लान अनुज्ञा पत्र संख्या–721 दिनांक 27.02.2018 को स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त योजना का स्थल निरीक्षण सहा0 प्रबन्धक (परि0) द्वारा कर लिया गया है, जो प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.2023 को पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। अतः पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता हैः–

1. योजना के अन्तर्गत किये गये अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव तथा संचालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। टाउनशिप नगर निगम/रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोशिएशन को हस्तगत करने तक समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इन अवस्थापना सुविधाओं की कमी या शिकायत प्राप्त होने पर उनका निस्तारण भी पूर्ण कराया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
2. आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार विकासकर्ता द्वारा पूर्ण की जायेगी। भू–विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्डों में निर्माण की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
3. विकासकर्ता द्वारा अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. विस्तारित टाउनशिप हेतु कोई अन्य देयता अथवा ब्याज भविष्य में पायी जाती/निर्धारित होती है तो बिना किसी विवाद के विकासकर्ता का प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
5. योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु निर्धारित भूमि स्कूल, कम्युनिटी सेन्टर, पोस्ट ऑफिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एसटीपी, कूड़ा निस्तारण प्रबन्धन की व्यवस्था, सुविधाजनक दुकानें आदि जो तलपट मानचित्र में प्रस्तावित है, को पूर्ण रूप से विकसित कर निर्धारित उपयोग हेतु आवंटित कर कार्य सम्पादित कराना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी, जिसकी स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से विकासकर्ता को प्राप्त कराना होगा।
6. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त क्रियाओं/भूखण्डों पर निर्माणों से सम्बन्धित भवन मानचित्र अलग से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कराया जाना होगा।

भवदीया,

meena
4/9/2023
(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक(वा0/नियो0)

सन्दर्भ सं0 /यूपीसीडा/2023–24/336/ दिनांकः
प्रतिलिपिः– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.), महोदय मुख्यालय कानपुर।

(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक(वा0/नियो0)